दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(निधारी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) बुधवार, 11 सितम्बर, 2003 / भाद्रपद 21, 1924 (शक)

संख्या: 271

सदस्य की नज़र वन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान रामा को संबोधित थानाध्यक्ष, तिलक मार्ग, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"गुझे आपको राराम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान रागा के माननीय रादरय श्री शोएब इकबाल को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 09/09/2003 को अपराहन 12.50 बजे, पुलिस की विधि-राम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़र बन्द किया गया ।

उन्हें उनके समर्थकों सिहत उसी दिन अर्थात् दिनांक 09/09/2003 को अपराहन 1.30 बजे रिहा कर दिया गया ।"

सिद्धार्थ राव राचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday, 11th September, 2003/ Bhadrapada 21, 1924(Saka)

No.: 271

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from S.H.O., Tilak Marg, New Delhi: -

"I have the honour to inform you that Shui Shoaib Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 12.50 PM on 09/09/2003.

He alongwith his supporters was released at 1.30 PM on the same day i.e. 09/09/2003."

SIDDHARTH RAO SECRETARY